

वैयक्तिक खंड ऋण के लिए हक विलेखों को सुरक्षित रखने पर देय सुरक्षित अभिरक्षा प्रभार

सेवा का विवरण	सेवा प्रभार
<b><u>वैयक्तिक खंड ऋण के लिए हक विलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्रभार</u></b>  सभी बकाया राशि के पूर्ण और अंतिम चुकौती की तिथि से 60 दिनों के बाद शुल्क लिया जाएगा।	ऋण खाता बंद करने के 60 दिनों के बाद ₹1,000/- + जीएसटी प्रति तिमाही या उसके अंश के लिए।